

Om

सहायक कलक्टर

(कॉस्ट टैक्स) बाणेश्वर

24.06.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता
वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय
पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उप. नहीं।
इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी
एवं स्वयं वादीगण अपने वाद को लेकर संभौर
नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम
हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिखल दफतर
हो व नंबर से कम हो।

24/06/25

सहायक कलक्टर

(कॉस्ट टैक्स) बाणेश्वर

